

अतः पत्रावली पूर्वदिशानुसार दि. को पेश हो।

4.10.2 पत्रावली पेश हुई/वकील उभय पक्ष एवं
गवाह श्री..... अधिवक्ता गण
उपस्थित..... उपस्थित नहीं आए
अतः पत्रावली पूर्वदिशानुसार दि. 8/11/23
को पेश हो।

8/11/2023
Not Pross

माजीलाल

वकील

जमेकु

नि. 412/012

व. 9/1/21

बादिया भागीनाई के वारिसान श्री भागीछात्र, बदरीचन्द,
डगभुताई, पायसबाई ने उपस्थित होकर न्यायालय
द्वारा मे 'विचाराधीन' बाद प्रकरण सं. 131/2016 को
नोट प्रेस किया गया बाद प्रकरण को शक भवना
नहीं पाएते हैं। बादिया के वारिसान श्री पदयाक श्री
मोहम्मद हसन खान एडवोकेट द्वारा की गई/बादिया
के अधिवक्ता को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया
गया बाद जाम अवलोकन बाद प्रकरण को नोट प्रेस
में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला सुमा
होकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
हंगला

